आवेदन संख्या :– 58/2020 अनवान – अनवर खान बनाम ईसान व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04.08.2021	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थीगण अधिवक्ता एवं विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण एवं विप्रार्थी संख्या 1 से 3 की सयुंक्त व अविभाजित खातेदारी का खेत खसरा नम्बर 940/873 रकबा क्रमशः 23.00 बीघा का मौजा हनुमानपुरा, पटवार मण्डल राजबेरा, तहसील शिव में आया हुआ है। विवादित आराजी में पक्षकारान् के हिस्से खुले हुए नहीं है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा तथा विप्रार्थीगण संख्या 1 से 3 का 3/5 हिस्सा है। प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डड खातेदार होने से प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थीगण के पक्ष में है। प्रार्थी संख्या 1 अपनी मजदूरी हेतु अधिकतर कतर देश विदेश में रहता है तथा प्रार्थीनी संख्या 2, प्रार्थी संख्या 1 की बुजुर्ग माता होने का विप्रार्थीगण अनैतिक लाभ उठाकर प्रार्थीगण के डामर सड़क पर मिलने वाले हिस्सा पर जबरदस्ती एवं बलपूर्वक कब्जा कर नवनिर्माण करना चाहते है तथा इस हेतु विप्रार्थीगण मौके पर पत्थर वगैरा डालकर वर्तमान में निर्माण कार्य शुरू कर कब्जा करना शुरू कर दिया है। अगर विप्रार्थीगण ने डामर सड़क पर जबरन कब्जा करने की गरज से निर्माण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी, जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी कीमत पर अदा नहीं की जायेगी। कि विप्रार्थीगण ने जबरदस्ती एवं बलपूर्वक सम्पूर्ण आराजी पर कब्जा करना शुरू किया तो प्रार्थीगण ने अपने हिस्से की भूमि पर विप्रार्थीगण को काश्त करने से इंकार किया तो विप्रार्थीगण हमलावर होकर आये तथा सड़क के पैरेलल/समानान्तर पत्थर वगैरा डालते हुए प्रार्थीगण को विवादित आराजी से बेदखल करने की धमकियां दी तथा प्रार्थीनी संख्या 2 के साथ गाली गलौच की। चूंकि प्रार्थीगण विवादित आराजी के रेकर्डड खातेदार होने तथा प्रार्थीनी संख्या 2 बुजुर्ग महिला होने से तथा विप्रार्थीगण सरजोर व्यक्ति होने से वे प्रार्थीगण के हिस्सा की भूमि पर जबरन कब्जा कर प्रार्थीगण को विवादित आराजी से जबरन बेदखल करने पर आमादा होने से सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विप्रार्थीगण के विरूद्ध ताफैसला विवादित आराजी मौजा हनुमानपुरा के खेत खसरा नम्बर 940/873 रकबा क्रमशः 23.00 बीघा भूमि में सड़क के पैरेलल प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का हस्तक्षेप एवं दखलंदाजी नहीं करे तथा न ही प्रार्थीगण की 2/5 हिस्सा की भूमि में किसी प्रकार का निर्माण करें तथा वाद के निर्णय तक विवादित आराजी का बैचान नहीं करें एवं वर्तमान मौके की यथास्थिति बनाये रखे जाने के आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावें। इसके विपरीत विप्रार्थी संख्या 1 के अधिवक्ता की बहस है कि प्रार्थीगण के साथ विप्रार्थीगण भी रेकर्डड खातेदार है। विप्रार्थीगण का 3/5 हिस्सा है तथा विप्रार्थीगण अपने हिस्से पर कोबिज है। ऐसी स्थिति में विप्रार्थीगण प्रार्थीगण किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा करने के हकदार नहीं है। अतः प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को अस्वीकार किया जाकर खारिज किये जाने का आदेश प्रदान करावें। सहायक कलक्टर (SDO) शिव	

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

Scanned with OKEN Scanner

सेवामें

– धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम निम्न प्रकार है कि यदि इस अधिनियम के अंतर्गत किसी वाद या कार्यवाही के दौरान शपथपत्र या अन्य प्रकार से यह सिद्ध हो जाये कि :–

(क) कोई सम्पत्ति जिसके बारे में उक्त वाद या कार्यवाही है, तत्संबद्ध किसी पक्षकार द्वारा दुरूपयोग किया जाने, क्षतिग्रस्त किये जाने या परकीकरण किये जाने (Alienated) के खतरे में है, या

(ख) उक्त वाद या कार्यवाही के संबंद्ध में कोई पक्षकार, न्याय के उद्देश्य को सफल नहीं होने देने के अभिप्राय से उस संपत्ति को हटाने या उसका व्ययन (Disposal) करने की धमकी देता है या विचार रखता है :–

– तो न्यायालय अस्थायी व्यादेश जारी कर सकता है .....

हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस को सुना एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। प्रकरण में वर्णित वादग्रस्त आराजी पक्षकारान् की संयुक्त एवं अविभाजित संपति है एवं वादपत्र में वर्णित हिस्सों को लेकर भी पक्षकारान् के मध्य कोई विवाद नहीं है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का 2/5 हिस्सा बनता है। जिसके समस्त खातेदारी के अधिकार प्रार्थीगण में निहित है। चूंकि विप्रार्थीगण प्रार्थी संख्या 1 विदेश कतर देश में मजदूरी करने व प्रार्थीनी संख्या 2 बुजुर्ग महिला होने का अनैतिक फायदा उठाकर प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलंदाजी कर विवादित आराजी जो सड़क के समीप आई हुई है, जिस सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा कर प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा होने से प्रार्थीगण अपने कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण द्वारा की जा रही दखलंदाजी/हस्तक्षेप को रोकने का अधिकारी है। अगर विप्रार्थीगण ने सम्पूर्ण भूमि पर कच्चा या पक्का निर्माण कर दिया तो प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है।

लिहाजा प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी के खेत खसरा नम्बर 940/873 रकबा क्रमशः 23.00 बीघा भूमि मौजा हनुमानपुरा, पटवार मण्डल राजबेरा, तहसील शिव की भूमि में प्रार्थीगण को सड़क पर मिलने वाले 2/5 हिस्सा में विप्रार्थीगण किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं करें तथा न ही प्रार्थीगण के उक्त कब्जा काश्त में विप्रार्थीगण दखलंदाजी पैदा करें तथा वर्तमान मौके की स्थिति में किसी प्रकार के रद्दोबदल नहीं किये जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा विप्रार्थीगण के विरूद्ध जारी की जाती है।

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) शिव जिला बाड़मेर

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।
पत्रावली फैसल सुमार एवं नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) शिव

Scanned with OKEN Scanner